न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 21/2017
मोहम्मद असलम खां पुत्र स्व0 रमजान माहेम्मद खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री घीसन अली पुत्र स्व0 सुभान अली
2. श्री मुन्ना अली पुत्र स्व सुभान अली दोनो जाति मुसलमान निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश दिनांक 15.7.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि **ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर स्थित** भूमि खसरा नम्बर 2441 रकबा 0.4400 हैक्टर आवेदनकर्ता की खातेदार कब्जे काश्त की भूमि है। जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 संलग्न है। विवादित साबिक खसरा नम्बर 2268 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वान्सी से खसरा नम्बर 2334 बना एवं उक्त खसरा नम्बर 2334 से हाल खसरा संख्या 2441/3321 रकबा 0.07 हैक्टयर बना जो कि मौजूदा में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में गलत दर्ज है क्योंकि प्रतिवादीगण उक्त भूमि का मुआवजा पीडब्ल्यूडी से उक्त भूमि, ने नेशनल हाईवे रोड में जाने से उठा चुके है। मिलान क्षेत्रफल पर्चा खतौनी, भूमि अवाप्ति कार्यालय भवन व पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर एवं जमाबंदी सवंत 2069–72 संलग्न है। उक्त हाल खसरा नम्बर 2441/3321 का अंकन हाल राजस्व नक्शे में दर्शित नेशनल हाईवे रोड में किया जाना चाहिये था परन्तु सहवन से उक्त खसरा नम्बर 2441/3321 का अंकन वादी की खातेदार के खसरा नम्बर 2441 रकबा 0.44 हैक्टेयर में किया गया है। खसरा संख्या 2441 गत खसरा नम्बर 2333 रकबा 0.28 हैक्टेयर एवं 2335 रकबा 0.16 हैक्टेयर से बना है। खसरा संख्या 2441/3321 के गत खसरा संख्या 2334 का अंकन पूर्व राजस्व नक्शे सन 1970–71 में नेशनल होईवे रोड में दर्शाया हुआ है जिससे यह पूर्णतया साबित है कि मौजूदा राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर 2441/3321 का अंकन वादी के खसरा संख्या 2441 में

अधिकारी

Scanned with CamScanner

लित रूप से किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर को राजस्व नक्शा सन 1970–71 के अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शे में उक्त विवादित खसरा नम्बर 2441/3321 अंकन करना चाहिये था जिस हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है। आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व नक्शा 1970–71 के अनुकूल वर्तमान राजस्व नक्शे में दुरूस्ती की जाकर खसरा नम्बर 2441/3321 का अंकन आवेदककर्ता के खातेदारी के खसरा नम्बर 2441 में हटाकर नेशनल हाईवे रोड में किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि साबिक खसरा नम्बर 2268 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी से खसरा संख्या 2334 से हाल खसरा संख्या 2441/3321 रकबा 0.07 हैक्टेयर बने है शेष कथन मिथ्या व बेबुनियाद तथा आधारहीन होने से अस्वीकार है। उपरोक्त आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात रही है जिसके बाबत किसी भी प्रकार की अवाप्ति हेतु कार्यवाही नही की गई हे ना ही उपरोक्त आराजीयात का मुआवजा अप्रार्थीगण द्वारा कभी उठाया गया है। प्रार्थी/वादी द्वारा अवैघानिक रूप से स्वयं की खातेदारी की आराजीयात के स्थान पर उक्त अंकन का होना वर्णित करते हुए प्रार्थी की खातेदारी को हडप करने के उदेश्य से वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि किसी भी रूप में संधारण योग्य नही है। उपरोक्त मद में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के अनुसरण में पूर्व में मौजूद राजस्व अभिलेख के अनुसरण में सही रूप से खसरा नम्बरान का अंकन किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व नक्शा वर्ष 1951–52 की स्थिति के आधार पर अंकन किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात खसरासंख्या 2272 रकबा 2 बीघा 2331 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वासी, 2335 रकबा 1 बीघा 2336 रकबा 15 बिस्वा, 2338 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा आराजीयात अप्रार्थीगण के पिता सुभान अली वल्द नियाज मोहम्मद की खातेदारी की आराजीयात रही है जिनकी मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 04.03.89 से उपरोक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण बजरिये संरक्षक माता श्रीमती बीबी बेगम बेवा सुभान अली व अप्रार्थीगण खातेदार की हैसियत से दर्ज अंकन किये गये है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात में से आराजीयात खसरा संख्या 2333, 3335, 2336, 2338 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 6.10.1994 को निष्पाद्वित किया गया है जो कि दिनांक 25.10.1994 को पंजीकृत किया गया है जिसके बाबत नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 26.6.1995 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया है। चौसाला नम्बर 2211 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के वर्किंग नम्बर 2272 रकबा 2 बीघा के वर्तमान नम्बर 2437 रकब 0.32 हैक्टैयर की भूमि जो नेशलन हाईवे रोड के लिए अवाप्त की जा चुकी थ जिसका मुआवजा भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्त कर लिया है वर्किंग खसरा संख्या 227

Scanned with CamScanner

कबा 12 बिस्वा जो नहर में थी जिसे नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त किया जा चुका है। राजस्व नक्शा 1970–71 में चौसाला खसरा नम्बर 2211 के वर्किंग खसरा संख्या 2272 का इन्द्राज वर्किंग खसरा नम्बर 2336 व 2271 के बीच में करना चाहिये ाि, के स्थान पर वर्किंग खसरा नम्बर 2301 का गलत इन्द्राज कर दिया है जबकि खसरा संख्या 2301 की भूमि करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जो कि राजस्व नक्शा सन्1970–71 में भी अंकित है परन्तु वर्किंग खसरा नम्बर 2301 का राजस्व अाािलेख नक्शे में सन 1970–71 में डबल स्थान प्रदर्श कर दिया गया है जबकि वर्किंग खसरा नम्बर 2272 जो कि खसरा संख्या 2336 व 2271 के बीच में 2301 के स्थान पर 2272 दर्ज होना चाहिये था। अत5 अप्रार्थीगण की रोड से लगती हुई खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 2441/3321 को हडप करने की नियती से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस बाबत सवंत 1951–52 में खसरा संख्या 2211 की स्थिति का अवलोकन किया जाकर एवं उक्त आधार पर ही सन्1980–81 व सवंत 2037–38 के नक्शे में अप्राथ्रीगण की भूमि की तरमीम की गई है को गलत दर्शाते हुये प्रार्थी प्रार्थी द्वारा 1970–71 की तरमीम का उल्लेख किया जाकर प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को पोषणीय नही होने मिथ्या एवं बेबुनियाद आधारो पर प्रस्तुत किये जाने तथा वाद प्रस्तुती का क्षेत्राधिकार एवं माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता तहसीलदार अजमेर की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया गया कि प्रकरण सं सम्बन्धित ग्राम दौराई साबिक चौसाला खसरा नम्बर 2268 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी के भू संशोधन वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर 2334 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वासी बने है जिसके हाल खसरा नम्बर 2441/3321 रकबा 0.07 हैक्टर बने है मिलान क्षेत्रफल की प्रस्तुत की गई प्रतियों को आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है उक्त भूमि पूर्व में बाईपास हेतु अवाप्त की जाकर अभिलेख में अभिलिखत अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने बाबत कथन वादी स्वयं सिद्व करे। साथ ही राजकीय पेरोकार ने अपील बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा नेशनल हाईवे को पक्षकार संयोजित नही किए जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने सम्बन्धी एवं पर्चा खतौनी संलग्न की है तथा अवार्ड दिनांक 10.03.1976 की प्रति संलग्न की है जिसमें ग्राम दौराई की अवाप्त की गई कुी भूमि का अंकन है अवार्ड के साथ अवाप्त की गः ग्राम दौराई के खसरा नम्बरान की सूची संलग्न नही की है जिससये यह सिद्व ना हो रा है कि उक्त खसरा नम्बर 2268 अवार्ड सूची में शामिल है अथवा नही। स

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत वर्तमान खसरा नम्बर 2441 में से वर्तमार खसरा नम्बर 2441/3321 को राजस्व मानचित्र से हटाकर नेशनल हाइवे रोड में दर्ज किए जाने का अनुतोश चाहा गया है जबकि प्रार्थी द्वारा नेशनल हाइवे को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है साथ ही वर्तमान खसरा नम्बर 2441/3321 की भौतिक स्थिति को परिवर्तित किए जाने से उससे लगती हुई खातेदारी भूमियो की भौतिक स्थिति भी परिवर्तित होती है जिनको भी वर्तमान प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार संयोजित नही करने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है ।

परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार सारहीन एवं भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

आर्तिका शुक्ला
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner